भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3285
दिनांक 20 मार्च, 2025

आन्ध्र प्रदेश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनाएं

3285. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में हाइड्रोकार्बन की खोज को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों की सूची क्या है तथा गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके कार्यान्वयन की वर्षवार स्थिति क्या है;
(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में वर्तमान में हाइड्रोकार्बन भंडारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोजे गए भंडारों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार, योजना/कार्यक्रमवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि आवंटित/जारी और उपयोग की गई; और
(ड.) क्या सरकार ने देश में हाइड्रोकार्बन भंडारों के अन्वेषण में सुधार और सहायता के लिए व्यक्तियों के कौशल और प्रशिक्षण में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनाओं को सरकार के साथ संविदागत समझौते के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अन्वेषण परियोजनाओं पर सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। इन परियोजनाओं को संविदाकारों द्वारा अपने जोखिम पर किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों (वर्ष 2019 से) के दौरान सरकार ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) बोली दौर के तहत 89 ब्लॉक और स्पेशल कोल बेड मीथेन बोली दौर के तहत 07 ब्लॉक दिए हैं। कार्यान्वित हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनाओं की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) और अन्य प्रचालकों को क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की खोज करने के साथ-साथ बंद तेल/गैस कूपो को फिर से खोलने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत और तकनीकी पहल की हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:

i. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020।
ii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2019, जो श्रेणी II और III बेसिन के अंतर्गत ओएएलपी ब्लॉकों में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता की सुविधा प्रदान करती है।

iii. वर्ष 2022 में अपतटीय में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को मुक्त करना, जिसे अन्वेषण के लिए अवरुद्ध किया गया था।

iv. सरकार भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराने हेतु भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे ऑनलैंड में 20,000 एलकेएम और अपतटीय में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है।

v. इसके अलावा, सरकार ने नामांकन क्षेत्रों में नए कूपों या कूपों की खुदाई से प्राप्त गैस उत्पादन के लिए प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) मूल्य पर 20% प्रीमियम को मंजूरी दी है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 2280 कूपों की खुदाई हुई है।

पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने भारत के तलछटी बेसिनों के डेटा अधिग्रहण और राष्ट्रीय डेटा भंडार पर भंडारण के लिए 4 योजनाएं पूरी की हैं और वर्तमान में 2 योजनाएं चल रही हैं। इन डेटा अधिग्रहण योजनाओं का विवरण, वर्षवार, राज्य-वार, स्थिति और निधियों के ब्यौरें **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

भारत में मौजूद हाइड्रोकार्बन भंडारों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नवत है:

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार देश के भंडार#		
स्थल/राज्य	**2पी भंडार – ऑयल (एमएमटी)**	**2पी भंडार – गैस (बीसीएम)**
अपतटीय	**202.72**	**365.59**
पूर्वी अपतटीय	32.24	136.04
पश्चिमी अपतटीय	170.49	229.55
भूमिगत	**231.59**	**277.83**
अरुणाचल प्रदेश	2.33	0.00
असम	104.07	73.93
गुजरात	92.58	36.47
मध्य प्रदेश	0.00	23.74
राजस्थान	23.40	49.46
पश्चिम बंगाल	0.02	29.62
मिजोरम	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.07	16.46
तमिलनाडु	5.80	23.24
आंध्र प्रदेश	**3.32**	**20.82**
झारखंड	0.00	4.11
कुल योग	**434.31**	**643.43**

#: जैसा कि पेट्रोलियम संसाधन प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस) मानक में प्रतिवर्ष रिपोर्ट किया जाता है।

तेल और गैस के वर्ष-वार भंडार अभिवृद्धि के ब्यौरें निम्नवत है:

वित्त वर्ष	**ऑयस**	**गैस**
	म (ऑयल) (एमएमटी)	**2पी भंडार अभिवृद्धि (बीसीएम)**
2018-19	58.01	106.68
2019-20	33.71	40.31
2020-21	11.98	30.25
2021-22	19.75	21.39

2022-23	27.46	40.63
2023-24	14.2	35.6

स्रोत: हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने भारत में हाइड्रोकार्बन भंडारों के अन्वेषण में सुधार लाने और सहायता करने के लिए व्यक्तियों के कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए ओएनजीसी अकादमी, जियोडेटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर (जीईओपीआईसी), देहरादून और केशव देव मालवीय पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान (केडीएमआईपीई) जैसे संस्थानों के माध्यम से विभिन्न गतिशील विषयों जैसे 'भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या की मूल अवधारणाएँ', 'अन्वेषण में एआई/एमएल का अनुप्रयोग', 'वेल लॉगिंग तकनीक और संरचना मूल्यांकन', 'पेट्रोलियम अन्वेषण में भू-रसायन विज्ञान की भूमिका' आदि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के पास हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज और विकास से संबंधित कई क्षेत्रों जैसे रिजर्वायर प्रबंधन, ड्रिलिंग अनुकूलन, उत्पादन वृद्धि, भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर नियमित प्रशिक्षण देने के लिए एक समर्पित शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा, ओआईएल ने अपने कर्मचारियों के कौशल संवर्धन के लिए प्रसिद्ध संस्थानों/संगठनों के साथ गठजोड़ किया है।

****